नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– महीपालसिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :–114/2020

1– बाबूलाल s/o मोतीलाल सुनार नि० करेड़ा तह० करेड़ा –प्रार्थी।

बनाम

1– सरजुदास महाराज श्री चारभुजा स्थान करेड़ा – गोयल विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय :: दिनांकः 2/2/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ......करेड़ा......पटवार हल्का ......करेड़ा......भू0अ0नि0 क्षेत्र ड़ा......में उनके खाता संख्या 53 की आ0नं0......4203 रकबा 1.07, 4204 रकबा 1.15 बीघा किता 2 रकबा 3.02 बीघा...स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता समें प्रार्थीगण अपने खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......7/10/19......को पंजीबद्व किया जाकर ग को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार हेरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया र ग्राम......करेड़ा......पटवार हल्का ......करेड़ा......भू0अ0नि0 क्षेत्र......करेड़ा......में उनके खाता या 53 की आराजी नम्बर......4203 रकबा 1.07, 4204 रकबा 1.15 बीघा किता 2 रकबा 3.02 बीघा...भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू अ0नि0......करेड़ा......को 550/– ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की वे।

लंग्न :– प्रार्थना पत्र प्रति।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.03.26 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

तिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा